विचार बिन्दु

क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। –महात्मा बुद्ध

'बुलडोजर न्याय' या सरकारी आतंक

बुलडोजर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग जमीन खोदने में, निर्माण कार्यों में एवं उद्योगों में किया जाता है। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता में आई, इसका एक अलग ही उपयोग चर्चा में अधिक रहा है। आपराधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्तियों, माफिया, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोपी आदि के विरुद्ध, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा बुलडोजर का उपयोग प्रारंभ हुआ। ऐसे तथाकथित अपराधियों के भवनों, चाहे वे आवासीय हों या व्यावसायिक, को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्यवाही को सरकार और मीडिया द्वारा 'तत्काल न्याय' का नाम दिया गया। यहां तक कि इसे 'बुलडोजर न्याय' और योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' के नाम से जाना जाने लगा।

लोक सभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार की सभाओं में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठ कर आने लगे। भाजपा और मुख्यमंत्री योगी जी ने यह सोचा था कि इस कार्यवाही से उन्हें चुनाव में भारी सफलता मिलेगी। लेकिन परिणाम इसके ठीक विपरीत आए और भाजपा की सीटें 62 से घटकर केवल 33 रह गईं।

बुलडोजर से मकान तोड़ने की प्रक्रिया को किसी भी रूप से कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग प्रारंभ में केवल जघन्य अपराध के आरोपियों जैसे विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के विरुद्ध ही किया गया, जिससे इसे स्वाभाविक रूप से व्यापक जन समर्थन भी मिला।

यह उल्लेखनीय है कि निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई अधिकांशतया भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हुई किंतु गैर भाजपा शासित प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं रहे। धीरे-धीरे, इसका उपयोग अपराधियों के साथ ही समुदाय विशेष के लोगों और राजनैतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए किया जाने लगा।इसे प्रभावी शासन का एक हथियार मान लिया गया ।

इसका उपयोग कितना अधिक प्रचलित हो गया, यह जानने के लिए केवल अप्रैल, 2022 के कुछ उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खरगोन में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभात में और 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मकानों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा । कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। न्यायिक व्यवस्था का कार्य होता है कि वह किसी भी आरोपी पर अपराध सिद्ध होने के बाद उसे कानून के अनुसार निर्धारित सजा दे। इसके लिए आवश्यक होता है कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज हो, उसका अन्वेषण हो और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दोष सिद्ध हो । इसके उपरांत भी, मकान तोड़ने का कोई प्रावधान, सामान्यत: कानून में नहीं है। बुलडोजर के माध्यम से तत्काल न्याय करते समय आरोपी को किसी प्रकार का उपयुक्त नोटिस समय तक नहीं दिया जाता है। औपचारिकता वश एक नोटिस घर पर चिपका दिया जाता है और संपत्ति को दो-चार घंटे में ही सरकारी जेसीबी मशीन जाकर गिरा देती है।

इस संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देना उपयुक्त होगा। एक कट्टरपंथी साधु राम गिरी महाराज द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध एक आपत्तिजनक बयान महाराष्ट्र में दिया गया जिसके आक्रोशित होकर हजारों मुसलमानों ने छतरपुर थाने पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय छतरपुर जिले के कांग्रेस उपाध्यक्ष शहजाद अली कर रहे थे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि रामगिरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए एवं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव कर दिया। इसके पश्चात पुलिस एवं प्रशासन द्वारा शहजाद अली के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया । इसका कारण यह बताया गया कि यह घर अवैध था। प्राप्त जानकारी के अनुसार न केवल यह, बल्कि इसी प्रकार के कई मकान उस क्षेत्र में अवैध रूप से बने हुए थे, जिन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी । क्या इस प्रकार की घटना की प्रतीक्षा की जा रही थी ताकि शहजाद अली के मकान को तोड़ा जाकर उसे सबक सिखाया जा सके?

> **प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एफ आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही किसी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है । किसी का घर तोड़ने का आदेश देने का अधिकार न्यायालय को भी नहीं है। यह विडंबना ही है कि एक ओर सरकार जहां बेघर लोगों को घर देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी और कुछ तथाकथित अपराधी लोगों के घरों को तोड़ने का काम करके उन्हें बेघर कर रही है।**

उदयपुर में 16 अगस्त 2024 को एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 15 वर्षीय मुस्लिम छात्र में अपने सहपाठी हिंदू छात्र को कुछ कहा सुनी के बाद चाकू मार कर घायल कर दिया, जिसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । इससे पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुस्लिम छात्र का परिवार जिस घर में रह रहा था, उसे बुलडोजर चला कर तोड़ दिया। इस घर में छात्र का संयुक्त परिवार रहता था एवं सब किराएदार थे। यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या सजा केवल आरोपी को ही मिलनी चाहिए थी या उसके घर के सभी अन्य सदस्यों को भी एवं उस मकान के मालिक को भी, जिसके वह किराएदार थे? किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सामने किसी घर को टूटते देखना अत्यंत पीड़ा जनक होता है । शायद सरकार का उद्देश्य ही यह है कि जिस समुदाय के व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है, उसे देखकर, उस समुदाय का अन्य कोई व्यक्ति प्रशासन या सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का कोई प्रयास न करे।

यहां भी सरकार द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह निर्माण अवैध था । प्रश्न यह उठता है कि यदि यह निर्माण अवैध होने के कारण तोड़ा गया तो अन्य हजारों अवैध निर्माणों को अब तक क्यों नहीं तोड़ा गया? वास्तविकता तो यह है कि किसी भी शहर में लगभग 15 से 20 प्रतिशत जनसंख्या अवैध अथवा अनधिकृत मकानों में निवास करती है। यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि अवैध एवं अनधिकृत मकान में लोगों को रहने के लिए बाध्य ही क्यों होना पड़ता है? यदि सरकार अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों को मकान बना कर दे देती तो अवैध मकानों में रहने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यहां प्रश्न मकान के वैध या अवैध होने का नहीं है अपितु किसी किसी विशेष समुदाय को सबक सिखाने की दृष्टि से ऐसा किया जाता है।

अवैध मकान को तोड़ने के लिए भी एक प्रक्रिया निर्धारित है, जिसे अपना कर ही ऐसी कार्रवाई की जा सकती है । बिना किसी अदालत के आदेश के, इस प्रकार, किसी के घर को तोड़ देने की कार्रवाई, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसे सरकार और मीडिया का एक वर्ग भले ही 'तत्काल न्याय' और बुलडोजर न्याय की संज्ञा दे, किंतु वास्तव में यह किसी 'सरकारी आतंक' से कम ही नहीं है। इसका उद्देश्य केवल और केवल एक समुदाय में डर उत्पन्न करना ही होता है।

क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी एक समुदाय में डर उत्पन्न करके, सरकार चलाना सही कहा जा सकता है ? इस प्रश्न पर समाज के प्रबुद्ध लोगों को एवं नेतृत्व करने वालों को विचार करना ही होगा ।

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एफ आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही किसी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है । किसी का घर तोड़ने का आदेश देने का अधिकार न्यायालय को भी नहीं है। यह विडंबना ही है कि एक ओर सरकार जहां बेघर लोगों को घर देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी और कुछ तथाकथित अपराधी लोगों के घरों को तोड़ने का काम करके उन्हें बेघर कर रही है ।

बुलडोजर से जब किसी का घर तोड़ा जाता है तो केवल आरोपी ही बेघर नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार और कई बार तो उसके मकान मालिक को भी अपने घर से वंचित हो जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, यदि न्यायालय में अभियुक्त बरी हो गया, तो क्या प्रशासन उसका घर उसे पुन: बनवाकर देगा? यह उल्लेखनीय है की अदालत में चलने वाले प्रकरणों में से लगभग 40 प्रतिशत में अभियुक्त बरी हो जाते हैं।

मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद अली के घर को तोड़ने का प्रकरण अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। इस पर सुनवाई 2 सितंबर, 2024 को हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वे दोनों पक्षों को सुनने के बाद समुचित दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश में लागू होंगे।

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को गरिमा से जीने का अधिकार प्रदत्त है। इस अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले रहने का घर आता है। यदि आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं और वह भी बिना उपयुक्त न्यायिक प्रक्रिया अपनाए, तो उसे, उसके जीने के अधिकार से वंचित करने के समान ही माना जाना चाहिए। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस होगी और देखना यह है कि इसका निर्णय क्या होता है?

हम तो यही अपेक्षा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से सीख लेकर सरकारें, चाहे वे किसी भी दल की क्यों न हों, बुलडोजर न्याय के नाम पर सरकारी आतंक मचाने से बचेंगी और नागरिकों के गरिमा के जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करेंगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र संभव है

डॉ. रामावतार शर्मा

यह सर्वविदित तथ्य है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने संक्रामक, संचारित और सघन रोगों के नियंत्रण पर बड़ी सफलता पाई है जिसके फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन की रक्षा संभव हो सकी है। एक जमाना था जब कस्बे या शहर में खसरा या चेचक के प्रकोप के बाद कहा जाता था कि आबादी के बच्चों की गिनती कर पता करो कि कितने जिंदा बचे हैं। आज ये रोग या तो समाप्त हो गए हैं या फिर अति साधारण रोग बन कर रह गए हैं। बैक्टीरिया, वायरस एवम् परजीवी रोगों के बारे में हमारी समझ में बड़ा विस्तार हुआ है जिसमें इनके बचाव के विभिन्न उपाय संभव हुए हैं। इस सब के विपरीत दीर्घकालिक रोगों के विरुद्ध आधुनिक चिकित्सा को कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हृदय एवम् रक्त संचार तंत्र, डायबिटीज जैसे मेटाबोलिक रोग, कैंसर और मस्तिष्क संबंधित बीमारियों के इलाज में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। यहां पर शोध में धन भी काफी खर्च हुआ है पर अपेक्षित परिणाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।

दीर्घकालिक यानि क्रॉनिक रोगों पर विजय में असफलता का प्रभाव अब त्वरित यानि एक्यूट रोगों पर हमारी सफलता पर भी पड़ने लगा है। उदाहरण के तौर पर उपचार कर रहा चिकित्सक निमोनिया या हैजे के एक रोगी के जीवन को तो सुरक्षित कर लेता है पर संभव है कि चंद दिनों बाद यह रोगी हार्ट अटैक द्वारा अपना जीवन खो दे या फिर उसके शरीर में किसी प्रकार के कैंसर का पता लग जाए। इस प्रकार निरोग अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद यह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाया तो त्वरित रोगों पर सफलता उस रोगी के लिए महत्वहीन हो जाती है। इस सब के परिपेक्ष्य में हमें दीर्घकालिक रोगों के बारे में अपनी स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न चिह्न लगाने पड़ेंगे ताकि नव विचारों का प्रदुर्भाव हो सके और क्रॉनिक बीमारियों के बारे में हमारी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तनों को कोई दिशा और प्रेरणा मिले।

दीर्घकालिक रोग का प्रारंभ उस समय से कितने ही पहले प्रारंभ हो चुका होता है जब रोग सामने आता है। क्या आप सोचते हैं कि हार्ट अटैक कोई अचानक हुआ हमला है? यदि आपका जवाब हां में है तो आप ग़लत हैं। माता पिता के सपनों से दबा बालक जब सुबह पांच बजे जगा कर तनाव और भागदौड़ के माहौल में स्कूल भगाया जाता है उसी समय उसके शरीर में हृदय रोग, डायबिटीज और अल्जाइमर का बीजारोपण कर दिया जाता है। कभी समय था जब स्कूल 10 बजे प्रारंभ होते थे, होमवर्क न के बराबर मिलता था, 2 महीने की छुट्टियां शत प्रतिशत छुट्टियां होती थी, शाम को मुहल्ले के बच्चे खेलते और मौज मस्ती करते थे। क्या वे बच्चे बड़े विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर्स, नोबेल पुरस्कार विजेता या विख्यात प्रोफेसर्स नहीं बने थे? क्या उन्होंने क्रांतिकारी और जीवन को परिवर्तित करने वाली खोज नहीं की थी? क्या पहले लखपति, करोड़पति लोग नहीं होते थे? आज नव युवकों में हार्ट अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अपनी भौतिक वासनाओं के चलते बच्चों के शरीर में बुढ़ापा मिश्रित कर दिया है।

युवकों के क्रोमोसोम्स पर लगे टेलोमीर छोटे होते जा रहे हैं। हमारे शरीर में लॉन्ग जीन (लंबी जीन) होती हैं जो बड़ी प्रोटीन श्रृंखला बनाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। यह प्रोटीन श्रृंखला हमारे न्यूरॉन्स को निर्मित करती है, उनकी देखभाल और मरम्मत का कार्य करती है। अब यदि ये लॉन्ग जीन क्षतिग्रस्त हो जाएं तो यह विशिष्ट प्रोटीन श्रृंखला निर्मित नहीं हो सकती। ऐसा होने पर हमारा शरीर मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगता है। कमजोर कोशिकाओं में कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, भोजन के बारे में अज्ञान का विस्तार, जिद्दी स्वभाव, हिंसा और घृणा का माहौल आदि के साथ पानी, हवा, खाद्य पदार्थों तथा शोर का प्रदूषण आदि शरीर को लगातार मृत्यु की तरफ धकेलने का कार्य कर रहे हैं।

अब सवाल उठता है किया क्या जाए? लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की रणनीति में कुछ साधारण कदम ही उठाने पड़ते हैं। शरीर के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम रखिए। मौसमी फल और सब्जी का भरपूर सेवन कीजिए। बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए। याद रखिए मोटा ;पैकेज; तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक हम जिंदा हैं। खुद पूरा सोइए और अपने बच्चों को सोने दीजिए। आईआईटी, आईआईएम के बिना भी नाम, धन और प्रतिष्ठा कमाना संभव है। बड़े धन से सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य या संतुष्टि मिले यह आवश्यक नहीं है। अपने कार्य खुद करिए चाहे कसरत हो या घरेलू कार्य। कमीज पुरानी पहनिए पर फल, सब्जी और अनाज ताजा खरीदिए। तंबाकू बंद, शराब नियंत्रित, प्रोसेस्ड खाना और चीनी का सेवन अतिनियंत्रित रखिए।

धार्मिक हिंसा, नफरत और लड़ाइयां हजार साल पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसी भावनाएं शरीर में प्रज्वलन पैदा करती हैं। प्रज्वलन से डायबिटीज, कैंसर, हार्ट के रोग और अल्जाइमर्स एवम् पार्किंसन रोग हो सकते हैं। जीवन उत्सव है। उत्सव मनाइए और शतायु होने का लक्ष्य निर्धारित कीजिए।

कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास
करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास ।।

–डॉ रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए घर-घर सर्वे कर रहे हैं बीएलओ

जयपुर, (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा विसंगतियां दूर करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य जारी है।

अभियान के दौरान मतदाता सूचियों एवं पहचान पत्रों (एपिक कार्ड) में त्रुटियों के संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही, नाम, पते आदि के आधार पर मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस विषय में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में महाजन ने घर-घर सर्वे के माध्यम से सूचियों के सत्यापन के कार्य में तेजी लाते हुए सभी जिलों में इसे 20 सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य में सर्वाधिक गति वाले जिलों नागौर, चित्तौड़गढ़, पाली, जयपुर, अलवर,डूंगरपुर और सिरोही के अधिकारियों की प्रशंसा की।

महाजन ने कहा कि इस अवधि में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में हाई-राइज और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीसहित अन्य शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों आदि में नए मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए सुविधाओं आदि के भौतिक सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि आगामी निर्वाचनों को और अधिक सहभागी बनाने के उद्देश्य से एसएसआर-2025 के दौरान युवाओं, महिलाओं, विशेष योग्यजनएवं थर्ड जेंडर, जन जातीय समूहों, अत्यंत पिछड़े समूहों, प्रदेश के डी-नोटिफाइड समूहों, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू समूहों और पीवीटीजी समुदायों पर फोकस किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे समुदायों और समूहों के मतदाताओं के नाम सूचियों में आवश्यक रूप से जोड़ने जा सकें। साथ ही, इसके लिए अभियान की अवधि में मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे आयोजन 18 अक्टूबर तक होंगे। अभियान के दौरान 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा इस अवधि के दौरान वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) के माध्यम से अपने नाम मतदाता के रूप में दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थाओं के जरिए इस एप को प्रचारित करने पर जोर दिया गया। नव मतदाता घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ से भी सम्पर्क कर सकते हैं। आम मतदाता भी अपने पहचान-

■ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह कार्य 20 सितंबर तक पूरा करवाने को कहा

पत्र और सूची में विसंगति को दूर करवाने के लिए बीएलओ अथवा एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूचियों के लिए घर-घर सर्वे आदि कार्य 20 सितम्बर तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके आधार पर मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण के बाद 29 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इन प्रारूप सूचियों पर दावे और आपत्तियां 28 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी। इनके आधार पर विसंगतियों को दूर करते हुए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को होगा।

फुलेरा में निराश्रित गौवंश व आवारा पशुओं का जमावड़ा, राहगीर परेशान

फुलेरा, (निसं)। पिछले कई दिनों से कस्बे के मुख्य बजार में निराश्रित गौवंश व आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ ता ही जा रहा है। उक्त समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधी एवं प्रशासन बेखबर होकर और मौन साधे बैठे हुए है।

कस्बे के मुख्य बाजारों की सडकों व वार्डों की गलियों में घूम रहे आवारा एवं निराश्रित गौवंश कारों, मोटरसाइकिलों, बस आदि से टकराकर दुर्घटनाओं को जन्म देते है। इसके चलते

■ प्रशासन और जनप्रतिनिधी बेखबर

हर रोज कई बेकसूर जिन्दगीयां मौत के मुंह में जाते-जाते बच जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाने के दौरान सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे वाहन या व्यक्ति से जाकर टकरा जाते है। कई बार तो टक्कर इतनी तेज होती है कि इस दौरान सड़क दुर्घटना में किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण भरे पूरे परिवार में मातम छा जाता है। कभी-कभी तो वाहन दुर्घटना में स्वयं आवारा पशु भी मौत के घाट उतर जाते है। इसके साथ ही जान व माल दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। फुलेरा क्षेत्र में आवारा मवेशियों की यह समस्या किसी एक व्यक्ति की ही नहीं है, बल्कि इनकी वजह से कई व्यक्ति और वाहन शिकार

फुलेरा में आम रास्तों पर आवारा गौवंश के जमावड़े से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।

हो चुके हैं।

कस्बे की यह एक जटिल समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। जिसका अभी तक कोई समुचित समाधान नहीं हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बाजार में घूम रहे निराश्रित गौवंश पैदल चलने वाले राहगीरों को हर रोज सींग से मारकर घायल कर देते है।

इन निराश्रित पशुओं में अधिकतर बूढ ी बीमार तथा दूध नहीं देने वाली गाय तथा नन्दी (सांड) होते हैं। जो कि खेती बाडी के भी काबिल नहीं होते हैं। यहां मशीनीकरण के कारण बैल को रेहडी खींचने व भार ढ ोने तथा खेत में हल जोतने जैसे अन्य कार्यों के लिए भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अत: इनका उपयोग नहीं होने के कारण इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। यह अपना पेट भरने के लिए लोगों के द्वारा डाली गई हरी घास, सूखी रोटियां, गलियों तथा बाजारों में पडे गन्दे लिफाफे पोलिथिन सहित वस्तुओं को मजबूरी के कारण खा जाते है। इतना ही नहीं कई बार तो फल-सब्जी की दुकानों से फल और सब्जियां खाने के साथ ही फैला देते है। इसके चलते दुकानदार इन पशुओं से बचने के लिए मजबूरीवश लकडीयां बरसा देते है। इसके अलावा किराणा आदि की दुकानों को भी यह निराश्रित गौवंश फैला देते है। मुख्य बाजार में तो हर 10 कदम की दूरी पर आवारा सांडों का जमघट लग रहता है। क्षेत्र की उपरोक्त जटिल समस्या को लेकर फुलेरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मनोज आहूजा, कंज्यूमर एक्शन एण्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष विजेन्द्र प्रकाश हलचल एवं शिक्षाविद और समाजसेवी शक्ति सिंह, भंवर लाल कुमावत ने संयुक्त रूप से पालिका प्रशासन से मांग की है कि उक्त गौवंशों को किसी गौशाला अथवा नन्दीशाला में भिजवाकर इस गंभीर समस्या से क्षेत्र की आम जनता एवं व्यापारी वर्ग सहित बाजार में पैदल चलने वाले राहगीरों को राहत प्रदान करें।

तीर्थराज लोहार्गल सूर्यकुंड में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डूबकी

24 कोसीय परिक्रमा पूर्ण करने के बाद श्रद्धालुओं ने डूबकी लगाई।

नवलगढ़, (निसं)। मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा पूर्ण करके लाखों की संख्या में परिक्रमार्थी व अन्य श्रद्धालुओं ने तीर्थराज लोहार्गल धाम सूर्यकुंड में सोमवती अमावस्या पर आस्था की डूबकी लगाई। इसी के साथ लोहार्गल में सोमवार को दो दिवसीय लक्खी मेला शुरू हुआ जो मंगलवार तक चलेगा।

सूर्यकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने प्राचीन सूर्य मंदिर व शिव मंदिर में गौमुख का पवित्र जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद परिक्रमार्थी श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौटते नजर आए। महिलाओं ने लक्खी मेले में खिलौने, कॉस्मेटिक सामान, अचार व घरेलु सामान की जमकर खरीदारी की। गोल्याणा चौराहे से लेकर लोहार्गल सूर्य कुंड तक पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही। इस बार सोमवार व मंगलवार दो दिन अमावस्या रहने के कारण मंगलवार को भी मेला चलेगा व श्रद्धालु सूर्य

■ दो दिन तक अमावस्या होने के कारण श्रद्धालु आज भी करेंगे कुंड में पवित्र स्नान

कुंड में अमावस्या का पवित्र स्नान करेंगे।

इस बार मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा में पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रही। समय पर हुई बरसात से लोगों के खेतों में लहलहाती फसल व 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में छाई हरियाली ने भी श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। साथ ही परिक्रमा के समय लगातार बादलों की आवाजाही व बीच-बीच में हुई बरसात के कारण धूप से भी परिक्रमार्थी श्रद्धालुओं को राहत मिली। परिक्रमा में शामिल रहे अनेक बुजूर्ग श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 15-20 साल में भी इस बार जितनी भीड़ नहीं देखी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 3 सितम्बर, 2024

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 3:10 तक, सिद्ध योग सांय 7:05 तक, नाग करण प्रात: 7:25 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-वृष, शुक्र-कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज देव पितृकार्य अमावस्या है। आज अमावस्या तिथि में वृद्धि हुई है। आज शहादते इमान हसन (मु.) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:19 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:00 तक, शुभ 3:34 से 5:08 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:42

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

तुला
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में योजना बनेगी। कारोबारी योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।